



सदरभ सं: आईआरडीए/आईटी/ओआरडी/विविध/034/02/2021

Ref. No: IRDA/IT/ORD/MISC/034/02/2021

दिनांक/Date: 24.02.2021

आदेश
ORDER

आईआरडीएआई के सूचना और सुरक्षा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए समिति का गठन
FORMATION OF COMMITTEE TO REVIEW IRDAI'S INFORMATION & SECURITY
GUIDELINES

कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति ने विश्वभर में और विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में साइबर हमलों में एक घातीय वृद्धि देखी है। इस परिस्थिति ने विनियमन कर्ताओं के लिए वित्तीय प्रणालियों का संरक्षण करने के लिए किये जानेवाले प्रयास में सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लागू अपने साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों का पुनरीक्षण करना आवश्यक कर दिया है। आईआरडीएआई ने अभिशासन व्यवस्था के भाग के रूप में आईआरडीए/आईटी/जीडीएल/विविध/082/04/2017 दिनांक 7 अप्रैल 2017 द्वारा साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं, जो अन्य अपेक्षाओं के साथ-साथ निम्नलिखित को अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) करते हैं :

The economic situation owing to COVID-19 pandemic has seen an exponential increase in cyber-attacks across the globe and in particular, the financial sector. This situation has necessitated Regulators to re-look into their Cyber Security Guidelines applicable to all regulated entities in an effort to protect the financial systems. IRDAI issued Guidelines on Cyber Security vide IRDA/IT/GDL/MISC/082/04/2017 Dt. 7th Apr, 2017 as a part of Governance mechanism, which amongst other requirements mandate:

1. सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी)
Information Security Committee (ISC)
2. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना और साइबर सुरक्षा नीति
Board approved Information & Cyber Security Policy
3. मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति
Appointment of Chief Information Security Officer (CISO),
4. साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी)
Cyber Crisis management plan (CCMP)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उक्त दिशा निर्देश यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाते हैं कि बीमाकर्ता की जोखिम प्रबंधन समिति को असुरक्षितता निर्धारण और व्यापन परीक्षण (वीए&पीटी) के संचालन सहित एक वार्षिक व्यापक बीमा लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होना चाहिए तथा निष्कर्ष आईआरडीएआई को रिपोर्ट करने चाहिए।

Apart from the above, the Guidelines mandate that the Insurers' Risk Management Committee should be responsible for an Annual Comprehensive Assurance audit including conducting of Vulnerability Assessment & Penetration Test (VA&PT) and should report the findings to IRDAI.

वित्तीय क्षेत्र जिन साइबर हमलों का साक्षात्कार करता रहा है उनके आलोक में तथा उद्योग के स्तर पर एक समग्र तरीके से समाधान की जानेवाली समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए एक संरचित रिपोर्टिंग कायम करने की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए आईआरडीएआई के सूचना और साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा करना आवश्यक समझा गया है:

In the light of Cyber Attacks which the financial sector has been witnessing and in the process of having a structured reporting to analyse the issues to be addressed in a holistic manner at the Industry level, it is considered necessary to review IRDAI's Information & Cyber security Guidelines inter alia, for the following:

1. क्या बीमाकर्ताओं के लिए दिशा निर्देशों की प्रयोज्यता का विस्तार अन्य संस्थाओं के लिए, जो आईआरडीएआई द्वारा विनियमित हैं, आशोधन के साथ अथवा आशोधन के बिना किया जाना चाहिए।

Whether to extend the applicability of Guidelines for insurers to other entities, which are regulated by IRDAI, with or without modification.

2. उन संस्थाओं के लिए जो बीमाकर्ताओं की आईटी प्रणालियों तक पहुँचती हैं, क्या प्रयोज्य सीमा तक उक्त दिशानिर्देश लागू करने चाहिए और कैसे लागू करने चाहिए।

Whether and how to apply the Guidelines to the extent applicable to entities which access Insurers IT Systems.

3. यह कैसे पता लगाना चाहिए कि उन संस्थाओं के द्वारा जो बीमाकर्ताओं की आईटी प्रणालियों तक पहुँचती हैं न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है, यद्यपि वे आईआरडीएआई द्वारा विनियमित नहीं हैं।

How to ascertain that minimum Security Standards are followed by those entities which access Insurers IT Systems, though those are not regulated by IRDAI.

4. क्या फिनटेक समाधानों, मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों, दूरस्थ स्थान से कार्य और क्लाउड सोर्सिंग में साइबर सुरक्षा विषयों को सम्मिलित करने के लिए उक्त दिशा निर्देशों को अद्यतन (अपडेट) करना चाहिए।

Whether to update the Guidelines to cover Cyber Security issues in Fintech Solutions, Mobile based applications, Work from Remote location and Cloud Sourcing.

5. एनसीएसआई (भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) के दिशा निर्देशों के साथ समक्रमिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचनाओं (सीआईआईएस) के लिए आधारस्तरीय (बेस-लाइन) आवश्यकताओं का समाधान करना।

To address base-line requirements for Critical Information Infrastructures (CIIs) to sync with NCSI (National Security Council of India) Guidelines.



6. उन विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) के लिए दिशा निर्देशों की प्रयोज्यता का विशिष्ट रूप से समाधान करना जिनका इंटरफेस विदेशी मूल कंपनियों और अन्य वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ है।

To specifically address applicability of Guidelines for foreign Re-insurance branches (FRBs) which have interface with overseas parent Companies and other Global re-insurers.

7. एक व्यापक लेखापरीक्षा जाँच-सूची और प्रमाणीकरण माडल तैयार करना।

To prepare a Comprehensive Audit Checklist and Certification model.

उपर्युक्त पर विचार-विमर्श करने और ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:

To deliberate on the above and to submit concrete recommendations, the following committee is hereby constituted:

प्रो. जानकीराम - निदेशक, आईडीआरबीटी, अध्यक्ष
Prof. Janakiram - Director, IDRBT, Chairman

प्रो. एच.कृष्णमूर्ति - पूर्व में मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक, आईआईएससी, बंगलूर, सदस्य
Prof. H. Krishnamurthy, Formerly Chief Research Scientist, IISc., Bangalore, Member

प्रो. जी. शिवकुमार, आईआईटी, मुंबई - सदस्य
Prof G. SivaKumar, IIT, Mumbai - Member

श्री विठल राज, सीए, सीआईएसए - सदस्य
Mr. Vital Raj, CA, CISA - Member

श्री विनायक गोडसे, उपाध्यक्ष, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद - सदस्य
Mr. Vinayak Godse, Vice President, Data Security Council of India - Member

श्री दयानिवास शर्मा, उपाध्यक्ष, आईसीएआई - सदस्य
Mr. Dayanivas Sharma, Vice Chairman, ICAI, Member

श्री वी. विजय कुमार, सीए, सीआईएसए - सदस्य
Mr. V. Vijay Kumar, CA, CISA - Member

श्री सुंदर कृष्णन, मुख्य जोखिम अधिकारी, सीआईएसए रिलायंस लाइफ - सदस्य
Mr. Sunder Krishnan, Chief Risk Officer, CISA Reliance Life - Member

श्री वेंकट कृष्णन, एसीए - सदस्य
Mr. Venkata Krishnan, ACA - Member

श्री एस. एन. जयसिंहन - महाप्रबंधक, आईआरडीएआई - सदस्य
Mr. S.N. Jayasimhan - General Manager, IRDAI - Member

श्री जयकुमार - महाप्रबंधक, सीआईएसओ, आईआरडीएआई - सदस्य
Mr. Jayakumar- General Manager, CISO, IRDAI - Member



श्री सचिन जाधव, सीटीओ/सीआईओ, एडेलवेइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. – सदस्य
Mr. Sachin Jadhav CTO/CIO, Edelweiss Life Ins. Co. Ltd.- Member

श्री सिद्धार्थ भट्ट, सीटीओ/ सीआईओ, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
Mr. Siddharth Bhat, CTO/CIO, Aditya Birla Health Ins. Co. Ltd.

श्री सौरभ चटर्जी, सीटीओ/ सीआईओ, बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
Mr. Saurabh Chatterjee, CTO/CIO, Bajaj Allianz General Ins. Co. Ltd.

श्री ए. आर. नित्यानंदम, मुख्य महाप्रबंधक-आईटी, आईआरडीएआई उक्त कार्यदल के सदस्य-
संयोजक होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट 2 महीने में प्रस्तुत करेगी।

Mr. A.R. Nithyanantham, CGM-IT, IRDAI shall be Member Convenor of the
Working Group. The Committee shall submit its report in 2 months.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

हस्ता./ Sd/-
सदस्य (जीवन) / MEMBER (Life)